

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक:—

पटना / दिनांक:—

प्रेषक,

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार पटना।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक।

विषय :- Covid-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लॉकडाउन के दौरान यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक—2184 दिनांक—13.04.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि Covid-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए Social Distancing एवं Lockdown के पूर्ण अनुपालन हेतु यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने सम्बन्धी विस्तृत निदेश प्रसंगाधीन पत्र द्वारा निर्गत किए गए हैं।

Covid-19 के संक्रमण को रोकने हेतु Crisis Management Group की दिनांक—14.04.2020 की बैठक में कार्यहित में लिये गये निर्णय के आलोक में निम्न बिन्दुओं पर निदेश दिये जाते हैं :-

1. सरकारी वाहनों अथवा सरकारी कार्य हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले अन्य वाहनों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी।
2. पटना उच्च न्यायालय, जिला व्यवहार न्यायालय, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अनुमान्य कार्यालयों, केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों, बैंकों, राज्य के विभिन्न बोर्ड/निगम/ सोसायटी, विभिन्न आयोग, के पदाधिकारी/कर्मि कार्यालय आने-जाने हेतु अपने निजी वाहन (दो पहिया/चार पहिया) का उपयोग करते हैं तो उन वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी, वशर्ते कि उनके पास अपने कार्यालय का Identity Card हो। ऐसे वाहनों को Identity Card के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी।
3. आवश्यक सेवायें, यथा विद्युत आपूर्ति, टेलीकॉम, मोबाईल नेटवर्क, डेयरी उद्योग, बैंक ए0टी0एम0, नगर निकाय कर्मि, चिकित्सा सेवा, पेट्रोल पंप, एल.पी.जी. वितरण, रेलवे, एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के निजी वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी। इन्हे पहचान पत्र के आधार पर जाने की अनुमति दी जायेगी।
4. सरकारी एवं निजी अस्पताल, लैब, दवा दुकान के डॉक्टर एवं अन्य कर्मियों को भी Identity Card पर जाने की अनुमति होगी।
5. मीडियाकर्मियों को पूर्ववत् उनके वैध पहचान पत्र के आधार पर जाने की अनुमति दी जायेगी।

6. पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सभी मालवाहक वाहन, कृषि उत्पादों, पशु उत्पाद आदि की दुलाई में संलग्न मालवाहक वाहनों के लिए पूर्ववत वाहन पास की आवश्यकता नहीं होगी ।

7. सभी जिला पदाधिकारी विभिन्न आवश्यक सेवाओं हेतु निर्गत पास जो 14 अप्रैल 2020 तक के लिए जारी किये गये थे, को 20 अप्रैल 2020 तक के लिए अवधि विस्तार करने का आदेश निर्गत करेंगे तथा इस बीच उन सभी पास की पुनः समीक्षा कर लेंगे ताकि शेष अवधि के लिये उनके विस्तार पर वे निर्णय ले सकेंगे ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार पटना ।

ज्ञापांक:-

पटना/दिनांक:-

प्रतिलिपि :- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार पटना ।

ज्ञापांक:- 2194

पटना/दिनांक-14-4-2020

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त बिहार/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस उपमहानिरीक्षक/ राज्य के सभी बोर्ड/ निगम/सोसायटी के प्रबंध निदेशक/मिशन निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

U av
14/4/20

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार पटना ।

6. पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सभी मालवाहक वाहन, कृषि उत्पादों, पशु उत्पाद आदि की दुलाई में संलग्न मालवाहक वाहनों के लिए पूर्ववत वाहन पास की आवश्यकता नहीं होगी ।

7. सभी जिला पदाधिकारी विभिन्न आवश्यक सेवाओं हेतु निर्गत पास जो 14 अप्रैल 2020 तक के लिए जारी किये गये थे, को 20 अप्रैल 2020 तक के लिए अवधि विस्तार करने का आदेश निर्गत करेंगे तथा इस बीच उन सभी पास की पुनः समीक्षा कर लेंगे ताकि शेष अवधि के लिये उनके विस्तार पर वे निर्णय ले सकेंगे ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक:- 2194

पटना/दिनांक:- 14-4-2020

प्रतिलिपि :- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Uan
14-4

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार पटना।

6. पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सभी मालवाहक वाहन, कृषि उत्पादों, पशु उत्पाद आदि की दुलाई में संलग्न मालवाहक वाहनों के लिए पूर्ववत् वाहन पास की आवश्यकता नहीं होगी ।

7. सभी जिला पदाधिकारी विभिन्न आवश्यक सेवाओं हेतु निर्गत पास जो 14 अप्रैल 2020 तक के लिए जारी किये गये थे, को 20 अप्रैल 2020 तक के लिए अवधि विस्तार करने का आदेश निर्गत करेंगे तथा इस बीच उन सभी पास की पुनः समीक्षा कर लेंगे ताकि शेष अवधि के लिये उनके विस्तार पर वे निर्णय ले सकेंगे ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

Uan

14-4-20

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार पटना ।